वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 07.12.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर “,अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक जागरण आईनेक्स्ट, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, आज, ज्ञानशिखा टाइम्स, जनसंदेश टाइम्स, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 07.12.2024

कार्रवाई

सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में कराए जा रहे कार्यों का विधायक और वीडीए उपाध्यक्ष ने किया निरीक्षण

मैदान में मिट्टी की जगह मलबा मिलने पर ठेकेदार को फटकार

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव और वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने शुक्रवार को सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में विकास कार्यों का निरीक्षण किया।

विधायक ने ठेकेदार को फटकार लगाई। मैदान को ऊंचा करने के लिए मिट्टी के स्थान पर मलबा मिलने पर विधायक नाराज हो गए। जलनिकासी के लिए बिछाई गई पाइपलाइन भी टेढ़ी थी। ठेकेदार ने क्षतिग्रस्त चहारदीवारी की मरम्मत भी नहीं कराई थी। बाद में विधायक ने विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को बिना देरी काम पूरा करने को कहा। विधायक ने कहा कि मैदान में मलबा किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। बच्चों को चोट लग सकती है। वर्षा जल के संचयन के लिए वाटर हार्वेस्टिंग का सुझाव भी दिया। इससे पहले महमूरगंज के जनसंपर्क कार्यालय में जनसुनवाई की। तुलसीपुर व मंडुवाडीह से आए सोनू कुमार और सुनील कुमार कन्नौजिया ने परिवार के सदस्यों का नाम राशन कार्ड में न होने की शिकायत की। रामनगर निवासी राजेंद्र शंकर सिंह पटेल ने रामनगर किले की सड़क पर अवैध दूध मंडी लगने की शिकायत की।

मंडुवाडीह के लाल बहादुर ने आयुष्मान कार्ड तकनीकी समस्या के कारण न बनने की शिकायत की। मंडुवाडीह निवासी गोपाल ने बताया कि उनकी आयु 70 वर्ष से अधिक हो गई है। लेकिन अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना है।

एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में निरीक्षण करते विधायक और वीडीए उपाध्यक्ष। स्रोत : स्वयं

सांस्कृतिक संकुल संचालन करने वाली फर्म को नोटिस

वाराणसी। सिगरा स्थित सांस्कृतिक संकुल के संचालन में अनियमितताओं पर वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने फर्म आईएसडब्ल्यूएनएसी को नोटिस दिया। साथ ही कमियों को पूरा कराने के लिए अर्थदंड लगाने का आदेश दिया। शुक्रवार को समीक्षा के दौरान वीडीए उपाध्यक्ष ने पाया कि संकुल के संचालन का कॉन्ट्रैक्ट फर्म के पास है। अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने स्थलीय और अभिलेखीय जांच की थी। रिपोर्ट में कई कमियां उजागर हुईं। अनुबंध के अनुसार समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस पर फर्म को देरी से धनराशि जमा करने पर अर्थदंड ब्याज सहित जमा करने को कहा। सीसीटीवी कैमरे भी पर्याप्त संख्या में नहीं है। ब्यूरो

सेंट्रल जेल रोड के कार्यों का किया निरीक्षण

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने शुक्रवार को एनहैंसिंग अर्बन इंटरेक्शन थ्रू प्लेसमेकिंग, लैंडस्केपिंग एंड पेडेस्ट्रियनाइजेशन ऑफ सेंट्रल जेल रोड के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। विद्युत लाइन के लिए आरसीसी डक्ट का कार्य चल रहा है। फुटपाथ का कार्य शुरू होना है। ठेकेदार को मजदूरों की संख्या बढ़ाने और निर्धारित समय में कार्य को गुणवत्तापूर्ण कराने के लिए निर्देशित किया गया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि वीडीए की प्रवर्तन टीम ने 11 बीघे की तीन अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई। रामनगर वार्ड के अलीनगर रमदत्तपुर में 06 बीघा, 04 बीघा व 01 बीघा समेत कुल 11 बीघे में अवैध तरीके से 3 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया गया। उधर, खजुरी आजाद नगर कॉलोनी की फरजाना शबनम नोटिस के बाद भी निर्माण करा रही थी। उसे सील कर अभिरक्षा में सौंप गया। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 07.12.2024

पूरे प्रदेश में लागू होगी वीडीए की री-डेवलपमेंट पॉलिसी

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई बिंदुओं पर हुई चर्चा

मरम्मत का विकल्प नहीं तो होगा पुनर्विकास

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। वीडीए की पहल पर प्रदेश में री-डेवलपमेंट (पुनर्विकास) पॉलिसी लागू की जाएगी। इसे लेकर शुक्रवार को लखनऊ में बैठक हुई। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शामिल वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन ने पुनर्विकास की आवश्यकता का संज्ञान लेते हुए प्रदेश में री-डेवलपमेंट पॉलिसी तैयार करने के लिए सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में कई पुरानी, जीर्ण-शीर्ण, सार्वजनिक, निजी आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाएं हैं। जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है। इन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। जब मरम्मत एक विकल्प नहीं है, तब पुनर्विकास ही एक मात्र समाधान बचता है। इस उद्देश्य के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से उत्तर प्रदेश ड्राफ्ट री डेवलपमेंट पॉलिसी तैयार कर शासन को भेजी गई थी। शासन स्तर पर इस पॉलिसी का प्रस्तुतीकरण भी किया गया।

इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य शहर में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में विद्यमान भवनों को उनके अधिकतम उपयोग के दृष्टिगत पूर्ण एफएआर एवं अन्य मानकों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकेगा। पॉलिसी की ओर से शहर के मूलभूत सुविधाओं, सार्वजनिक सुविधाओं, निम्न आय वर्गों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। री-डेवलपमेंट के माध्यम से वहां के अध्यासियों को उच्च गुणवत्ता का लाभ होने के साथ-साथ नए व्यवसाय के विकल्प भी सृजित किए जा सकेंगे। साथ ही शहर का स्वरूप भी उच्च स्तर का हो सकेगा।

वन ट्रिलियन इकोनॉमी का विजन साकार करने में होगा सहायक

वीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि इस पॉलिसी के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का वन ट्रिलियन डालर इकोनॉमी का विजन को साकार करने में सहायक होगा। इस पॉलिसी के माध्यम से न केवल सरकारी विभाग, बल्कि सोसाइटी/बिल्डर्स के माध्यमों से भी री-डेवलपमेंट किया जा सकेगा। यह पॉलिसी संयुक्त भू-स्वामित्व वाली संपत्तियों को सीधे तौर पर लाभान्वित करेगी। पुनर्विकास के समयावधि में वहां निवास कर रहे लोगों को एक वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही अन्य कई इन्सेंटिव दिए जाने पर भी चर्चा हुई।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 07.12.2024

वीडीए ने 11 बीघा में अवैध प्लाटिंग को तोड़ा

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर शुक्रवार को अवैध निर्माण और जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

जोन एक के सिकरौल वार्ड के खजुरी में शबनम स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कर रही थीं। उन्हें नोटिस जारी कर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण करने को कहा गया था लेकिन निर्माण जारी रहा।

निर्माणाधीन भवन सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। जोन पांच के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार ने बताया कि रामनगर वार्ड के अलीनगर स्थित हदयपुर में अलग-अलग लोग छह, चार और एक बीघा यानी कुल 11 बीघा में अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग कर रहे थे। तीनों स्थानों पर बुलडोजर से बाउंड्री को तोड़ने के साथ प्लाटिंग करने वाले के बारे में जानकारी की जा रही है।

दैनिक जागरण–दि0 07.12.2024

सेटेलाइट सर्वे में अवैध निर्माण की खुली पोल

वीडीए उपाध्यक्ष सख्त, निर्माणाधीन भवन की तुलना में नहीं पास हो रहे 10 फीसद नक्शे

जेपी पांडेय, • जागरण

वाराणसी : अवैध निर्माण और जमीन की प्लाटिंग करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने सेटेलाइट का सहारा लिया तो प्रवर्तन अभियंताओं, सुपरवाइजर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कारगुजारी सामने आ गई है। वीडीए की भारी-भरकम फौज को अवैध निर्माण दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब सेटेलाइट से अवैध निर्माण सामने आए तो वह उससे बचने का रास्ता खोजने लगे हैं। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग सैटेलाइट से चिह्नित अवैध निर्माण की सूची देने के साथ कार्रवाई करवा रहे हैं। वहीं, जोनल अधिकारी से जवाब मांगा जा रहा है। पिछले 10 दिनों में 49 अवैध निर्माण चिह्नित किए जा चुके हैं। भवन स्वामी को नोटिस जारी कर नक्शा पास कराने को कहा जा रहा है जिससे अवैध निर्माण वैध हो सके।

वीडीए सीमा क्षेत्र में अवैध निर्माण की तुलना में 10 प्रतिशत भी नक्शा पास नहीं हो रहे हैं। अवैध तरीके से जमीन प्लाटिंग की कोई गिनती नहीं है। वीडीए महीने में 15 से 20 से अवैध जमीन की प्लाटिंग तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है लेकिन उस तुलना में बंद नहीं हो रहे हैं। हालत यह है कि जहां वीडीए ने बुलडोजर चलाया वहां फिर अवैध कालोनियों आबाद हो गई। ऐसा नहीं है कि वीडीए कर्मियों को इसकी जानकारी नहीं है। कई के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ कार्यालय से संबद्ध तक किया गया लेकिन उनके नेटवर्क को तोड़ पाने में वीडीए अधिकारी विफल है।

शहर के सिकरौल वार्ड मे सेटेलाइट सर्वे मे चिह्नित हुए अवैध निर्माण• स्रोत: वीडीए

इन्हें भेजा गया नोटिस

सेटेलाइट के जरिए जोन एक मे एक हजार वर्ग मीटर के दो निर्माण मिले जिनके मानचित्र स्वीकृत थे लेकिन विचलन था। शिवपुर वार्ड के पहाड़पुर बिरापट्टी मे दो बडे, कोईराजपुर मे व्यवसायिक अवैध निर्माण मिले, इन्हे नोटिस जारी किया है। जोन तीन दशाश्वमेध वार्ड मे दो मैरिज लान दुल्हन पैलेस व मौर्य मंगलम लान मे अवैध निर्माण हो रहा था। इसी वार्ड के हरदत्तपुर मे व्यावसायिक निर्माण मिलने पर सभी को नोटिस जारी किया गया है। जोन चार और पांच मे भी कई अवैध निर्माण और निर्माणाधीन चिह्नित करने के साथ नोटिस जारी किया जा रहा है।

- 10 दिनों में चिह्नित हुए बिना नक्शे के 49 मकान, स्वामी को नोटिस
- वीडीए की भारी-भरकम फौज को नहीं दिखाई देता अवैध निर्माण

" विकास प्राधिकरण करीब 1073 वर्ग किलोमीटर में है। इनमे कुल 850 गांव शामिल है। प्रवर्तन कार्रवाई के लिए पांच जोन में बांटा गया है। इनमे वाराणसी में 631, चंदौली जिले के 170 गांव और मीरजापुर जिले के 49 गांव शामिल है। अवैध निर्माण और जमीन की प्लाटिंग रोकने के लिए वीडीए ने 'इन्फोर्समेंट जियाट्रिक्स साफ्टवेयर' के जरिए सैटेलाइट डाटा के आधार पर अवैध निर्माण चिह्नित करने के साथ नोटिस जारी किया जा रहा है।

–पुलकित गर्ग, उपाध्यक्ष, वीडीए।

दैनिक जागरण–दि0 07.12.2024

पुराने मकानों की मरम्मत नहीं, नया निर्माण विकल्प

जागरण संवाददाता, वाराणसी : पुराने और जीर्ण-शीर्ण निजी व व्यवसायिक भवनों की मरम्मत नहीं होने एवं फिर से निर्माण (पुनर्विकास) करने की प्रस्तावित पालिसी को लेकर वाराणसी विकास प्राधिकरण सभागार में चर्चा हुई। कई ऐसे मकान हैं जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है और न ही कोई दूसरा विकल्प है।

शासन की ओर से री-डेपलपमेंट (पुर्नविकास) पालिसी तैयार करने को लेकर सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। समिति की पहली बैठक शुक्रवार को बनारस में हुई।

वीडीए के नगर नियोजक प्रभात कुमार ने बताया कि प्रदेश में कई ऐसे भवन हैं जिनकी हालत काफी दयनीय है। उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है। नया निर्माण की विकल्प है। बनारस में कई ऐसे भवन है जो जर्जर हालत में है। खासकर यह क्षेत्र शहर के पक्के महाल के मकानों का है। जहां जीर्ण-शीर्ण हो चुके मकानों की मरम्मत करा पाना संभव नहीं है, इसको देखते हुए शासन की ओर से भवन निर्माण की नई पालिसी बनाई जा रही है।

री-डेपलपमेंट (पुर्नविकास) पालिसी को लेकर बैठक करते वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग।

- री-डेपलपमेंट पालिसी की पहली बैठक हुई वीडीए सभागार में
- पूर्ण एफएआर, मूलभूत सुविधाओं का सभी वर्ग को मिलेगा लाभ

पालिसी का उद्देश्य जीर्ण-शीर्ण भवनों के अधिकतम उपयोग और पूर्ण एफएआर व अन्य मानकों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा शहर के मूलभूत व सार्वजनिक सुविधाओं, निम्न आय वर्गों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

साथ ही नए व्यवसाय के विकल्प खुलेंगे और शहर का विकास भी होगा। इतना ही नहीं, सोसायटी और बिल्डर्स को री-डेवलपमेंट का रास्ता मिलेगा। इससे भू-स्वामित्व वाली संपत्तियों को सीधे लाभ मिलेगा।

दैनिक जागरण आईनेक्स्ट–दि0 07.12.2024

कहीं आपका स्टे अवैध होटल में तो नहीं?

i SHOCKING

वीडीए ने शेयर की बिना नक्शा पास कराए संचालित 21 होटल और गेस्ट हाउस की सूची

varanasi@inext.co.in

VARANASI (6 Dec): काशी दर्शन करने आए टूरिस्ट संभलकर होटलों में स्टे करें, क्योंकि सिटी के कई होटलों ने वीडीए से नक्शा ही पास नहीं कराया है. इसलिए ऐसे होटलों में जाने से परहेज भी कर सकते हैं. वीडीए ने ऐसे अवैध होटलों की सूची भी जारी की है. ये होटल संचालक कमरे की बुकिंग का कारोबार कर रहे हैं.

21 होटल अवैध

घाट किनारे से लेकर बाबतपुर चौराहे तक के होटलों की वीडीए ने जांच की तो 21 होटल ऐसे मिले, जो पिछले कई सालों से टूरिस्ट्स से मोटी कमाई कर रहे हैं, लेकिन वीडीए से नक्शा पास कराना भूल गए. वीडीए ने जब इसकी पड़ताल की तो बिना नक्शा पास कराए होटलों का सच उजागर हुआ.

3 साल में बढ़े होटल, लॉज

वीडीए के अफसरों की मानें तो पिछले तीन साल के दौरान सिटी में होटल्स, लॉज और लॉन की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है. होटल्स के अलावा कई लॉन संचालकों ने भी वीडीए से नक्शा पास नहीं कराया. मनमाना तरीके से लॉन का संचालन कर रहे हैं.

वीडीए प्रशासन ने महायोजना 2031 के खिलाफ और वरुणा के ग्रीन बेल्ट में बने अवैध होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेस को खाली करने और बुकिंग न करने का भी पिछले दिनों कार्रवाई की थी. होटल पर नोटिस चस्पा भी किया गया था. वीडीए वीसी पुलकित गर्ग ने जनता से अपील की है कि इन होटलों में न बुकिंग कराएं और न ठहरें. अवैध होटल में बुकिंग कराने पर ठगे जाएंगे.

इनके खिलाफ कार्रवाई को लिखा लेटर

होटल सत्कार (झाड़ी), होटल शिव प्रताप इन, होटल नंदनी पैलेश, होटल कृष्णा इन (परेड कोठी), होटल वृंदा इन (सुभाष नगर, मलदहिया), होटल ब्लू स्टार (सारनाथ), एमजेएसी मैरिज हाल (लल्लापुरा), होटल डीसी ग्रैंड (सिगरा), एसडीएम गेस्ट हाउस व बैंक्वेट हाल (तरना), राजधानी गेस्ट हाउस (इंग्लिशिया लाइन), सिटी गार्डन (अधसपुल), आरडी पैलेस (कमच्छा), होटल एआर पैलेस (तेलियाबाग), सूर्योदय गेस्ट हाउस (रामापुरा), शिवपुर सेलिब्रेशन मैरिज लान (शिवपुर रेलवे क्रासिंग), होटल संध्या सिटी इन (छित्तुपुर), ओम मैरिज लान (ओम नगर कालोनी, सोयेपुर) श्री लक्ष्मी वाटिका (नगवा), होटल स्वयर (लंका), न्यू सूर्योदय गेस्ट हाउस (लक्ष्मणपुर), होटल विजय इन (शिवदासपुर).

धड़ल्ले से चल रहे हैं मानक विपरीत होटल, गेस्ट हाउस

शहर के होटलों, गेस्ट हाउसों के साथ ही मैरिज लॉन भी संचालित हो रहे हैं. ऐसे कई होटल है, जहां न नक्शा पास है और ना ही फायर सेफ्टी के इंतजाम है. ऐसे में वीडीए ने इनको नोटिस जारी किया है. तीन महीने पहले भी वीडीए ने एक दर्जन होटलों के खिलाफ जांच कर नोटिस जारी की थी. इनमें से दो होटलों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गयी थी.

HOTEL

"होटल व गेस्ट हाउस और मैरिज लान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जोनल अधिकारी को निर्देश दिया गया है. जोनल के अधिकारी होटलों की जांच में जुट गए है. इसके अलावा कई होटलों के खिलाफ जांच चल रही है.

डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, सचिव, वीडीए

हिन्दुस्तान–दि0 07.12.2024

जर्जर फ्लैटों के पुनर्निर्माण नीति को सैद्धांतिक मंजूरी

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए की पहल पर प्रदेश में जर्जर फ्लैटों, ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के भवनों के पुनर्निर्माण की नीति लागू होने जा रही है। वीडीए ने इस संबंध में पिछले दिनों शासन को प्रस्ताव भेजा था जिसे सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।

इस मुद्दे पर शुक्रवार को वीडीए मुख्यालय में शहरी नियोजन समिति की बैठक में चर्चा की गई। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि बड़ी संख्या में पुराने और जर्जर सार्वजनिक, निजी आवासीय और वाणिज्यिक भवन हैं। इनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के सभी लोगों की सहमति पर ही पुनर्निर्माण संभव है। लेकिन वीडीए ने 70 फीसदी लोगों की सहमति पर भी इसे संभव बनाने का प्रस्ताव बनाया है।

उन्होंने कहा कि वीडीए ने उत्तर प्रदेश ड्राफ्ट रीडेवलपमेंट नीति तैयार कर शासन को भेजा है। शासन स्तर पर इसे प्रस्तुत किया गया है। बैठक में नगर नियोजक प्रभात कुमार, अर्बन प्लानर आकांक्षा अग्रवाल मौजूद रहीं।

हिन्दुस्तान–दि0 07.12.2024

गिरिजा देवी संकुल की संचालक फर्म पर अर्थदंड

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए प्रशासन चौकाघाट स्थित पद्मविभूषण गिरिजादेवी सांस्कृतिक संकुल का संचालन कर रही आईएसडब्ल्यूएचसी पर अर्थदंड लगाएगा। शुक्रवार को उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस फर्म को नोटिस भेजने का निर्णय लिया गया। फर्म की कमियों पर उपाध्यक्ष के समक्ष रिपोर्ट पेश की गई थी। अर्थदंड की राशि बाद में तय होगी।

पुलकित गर्ग ने कहा कि यदि फर्म ने अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया तो अनुबंध निरस्त करने पर भी विचार संभव है। अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में कुछ कमियां इंगित की हैं। उनमें मुख्य रूप से फर्म की ओर से होने वाली बुकिंग का रिकॉर्ड ठीक से न रखने की बात सामने आई। समझौते के तहत फर्म वीडीए को भुगतान नहीं कर रही है। इस पर उपाध्यक्ष ने फर्म को ब्याज समेत बकाया राशि के भुगतान का निर्देश दिया। फर्म ने संकुल में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे, फायर उपकरण और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने में भी लापरवाही की।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 07.12.2024

वीडीए उपाध्यक्ष ने सेंट्रल जेल रोड के पास कराये जा रहे कार्यों का किया निरीक्षण

वाराणसी (एसएनबी)। वीडीए उपाध्यक्ष ने शुक्रवार को सेंट्रल जेल रोड पर एन्हांसिंग अर्बन इंटरेक्शन थ्रू प्लेसमेकिंग, लैंडस्केपिंग एंड पेडेस्ट्रियानेशन ऑफ सेंट्रल जेल रोड के तहत कराये जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसके विद्युत लाइन के लिए आरसीसी डक्ट का कार्य गतिमान है तथा फुटपाथ का कार्य प्रारंभ होना है। संबंधित ठेकेदार को मजदूरों की संख्या बढ़ाने एवं निर्धारित समय में कार्य को गुणवत्तापूर्ण कराये जाने के लिए निर्देशित किया गया। इस परियोजना के तहत विद्युत तथा ओएफसी लाइन को भूमिगत करने के लिए डक्ट, पार्किंग, वेंडिंग एरिया, फुटपाथ, सीटिंग तथा लैंडस्केपिंग का कार्य कराया जाना है। मौके पर अर्बन प्लानर एवं संबंधित ठेकेदार उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 07.12.2024

वीडीए की पहल पर प्रदेश में लागू होगी री-डेवलपमेंट पॉलिसी

वाराणसी (एसएनबी)। प्रदेश में कई पुरानी और जीर्ण-शीर्ण सार्वजनिक एवं निजी आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाएं है, जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है। उन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। जब मरम्मत एक विकल्प नहीं है, तब पुनर्विकास ही एक मात्र समाधान बचता है। इस उद्देश्य के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण की तरफ से उत्तर प्रदेश ड्राफ्ट री-डेवलपमेंट पॉलिसी तैयार कर शासन को प्रेषित की गयी थी एवं शासन स्तर पर उक्त पॉलिसी का प्रस्तुतीकरण भी किया गया। प्रदेश शासन की तरफ से पुनर्विकास की आवश्यकता का संज्ञान लेते हुए प्रदेश में री-डेवलपमेंट (पुनर्विकास) पॉलिसी तैयार किये जाने के लिए सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। समिति की प्रथम बैठक शुक्रवार को आयोजित की गयी। री-डेवलपमेंट (पुनर्विकास) पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य शहर में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में विद्यमान भवनों को उनके अधिकतम उपयोग के दृष्टिगत पूर्ण एफएआर एवं अन्य मानको का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकेगा। पॉलिसी के द्वारा शहर के मूलभूत सुविधाओं, सार्वजनिक सुविधाओं, निम्न आय वर्गों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। री-डेवलपमेंट के माध्यम से वहां के अध्यासियों को उच्च गुणवत्त-का लाभ होने के साथ-साथ नए व्यवसाय के विकल्प भी सृजित किये जा सकेंगें। साथ ही शहर का स्वरूप भी उच्च स्तर का हो सकेगा। इस पॉलिसी के माध्यम से न केवल सरकारी विभाग, बल्कि सोसाइटी/ बिल्डर्स के माध्यमों से भी री-डेवलपमेंट की कार्यवाही की जा सकेगी। यह पॉलिसी संयुक्त भू-स्वामित्व वाली सम्पतियों को सीधे तौर पर लाभान्वित करेगी। पुनर्विकास के समयावधि के अंतर्गत वहां निवास कर रहे लोगों को एक वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्राविधान किये गये है। साथ ही अन्य कई इंसेंटिव दिये जाने पर भी चर्चा हुयी। उक्त पॉलिसी के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का एक ट्रिलियन डालर इकोनॉमी का विजन को सकार करने एक्टिवेट विंड में सहायक होगा।

वीडीए ने 11 बीघा अवैध प्लाटिंग पर चलाया बुलडोजर

वाराणसी (एसएनबी)। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश क्रम में शुक्रवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण जोन-पांच की प्रवर्तन टीम ने कुल 11 बीघा में अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। रामनगर वार्ड के थाना-अलीनगर, जिला-चंदौली, मौजा-हृदयपुर के अंतर्गत अलग-अलग अज्ञात कॉलोनाइजरों की तरफ से लगभग छह बीघा, चार बीघा व एक बीघा इस प्रकार कुल लगभग 11 बीघा में अवैध तरीके से किये जा रहे कुल तीन अवैध प्लाटिंग को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 07.12.2024

वीडीए ने सील किया अवैध निर्माण

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश क्रम में विकास प्राधिकरण जोन एक की प्रवर्तन टीम ने शुक्रवार को अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गयी। सिकरौल वार्ड के मौजा-खजुरी (आजाद नगर कालोनी) के अंतर्गत फरजाना शबनम पत्नी मोहम्मद परवेज की तरफ से पूर्व में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अधिक क्षेत्रफल में बेसमेंट की खुदाई करके कॉलम व बीम बनाकर निर्माण कार्य कराये जाने पर कारण बताओ एवं निर्माण कार्य बंद कराने के लिए पूर्व में नोटिस जारी की गयी थी, लेकिन निर्माणकर्ता की तरफ से स्थल पर सेटबैक एवं रोडवाईडनिंग कवर कर निर्माण करने तथा शमन मानचित्र प्रस्तुत न करने के कारण सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 07.12.2024

गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल के संचालन में मिली खामियां, फर्म को लगायी फटकार

वीडीए उपाध्यक्ष ने फर्म को नोटिस के साथ ही अर्थदंड के लिए दिए निर्देश

वाराणसी (एसएनबी)। गिरजादेवी सांस्कृतिक संकुल के संचालन के लिए वीडीए की तरफ से आईएसडब्ल्यूएचसी फर्म को संचालन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने शुक्रवार को आईएसडब्ल्यूएचसी फर्म के साथ समीक्षा की। समीक्षा में गुडाकेश शर्मा, अपर सचिव, वीडीए एवं इ एंड वाई कंसल्टेंट उपस्थित रहे। वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देशों के क्रम में गुडाकेश शर्मा, अपर सचिव एवं इ एंड वाई कंसल्टेंट के द्वारा स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच की गयी थी, जिसकी रिपोर्ट उपाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की गयी। उक्त रिपोर्ट एवं समीक्षा बैठक में मुख्यतः निम्न कमियां पायी गयी।

संकुल के संचालक फर्म आईएसडब्ल्यूएचसी द्वारा बुकिंग आदि के संबंध मे जो रिकॉर्ड रखे जा रहे है, उसमें काफी कमियां पायी गयी। संबंधित फर्म द्वारा विधि संगत रूप से रिकॉर्ड नहीं रखे जाने के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा संबंधित फर्म को नोटिस निर्गत किये जाने के निर्देश वीडीए उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि संकुल के संचालक फर्म आईएसडब्ल्यूएचसी द्वारा प्राधिकरण को अनुबंध के अनुसार समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में वीडीए उपाध्यक्ष द्वारा संबंधित फर्म को विलंब से धनराशि जमा करने के कारण दण्ड ब्याज आगणित कराते हुए धनराशि जमा कराने के निर्देश दिये गये।

स्थलीय निरीक्षण/समीक्षा में पाया गया कि संकुल के संचालक फर्म आईएसडब्ल्यूएचसी द्वारा सीसीटीवी कैमरा पर्याप्त संख्या में एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर नहीं लगाये है। स्थलीय निरीक्षण में यह भी पाया गया कि अग्नि शमन व्यवस्था के उपकरण यथा- फायर हाईड्रेंट, स्प्रिंकलर सिस्टम में कतिपय कमियां पायी गयी। इस संबंध में संबंधित फर्म को तत्काल अग्नि शमन मानकों के अनुसार व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिये गये तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए नोटिस निर्गत करने के निर्देश दिये गये।

संकुल के संचालक फर्म आईएसडब्ल्यूएचसी को अनुबंध के अनुसार जितनी संख्या में मैन पावर एवं संकुल के कुशल/ सुरक्षित संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता प्राविधानित की गयी थी, स्थलीय निरीक्षण में उसमें कमियां पायी गयी। जिस पर फर्म को तत्काल अनुबंध के अनुसार आवश्यक प्राविधानित मैन पावर एवं मशीनरी की व्यवस्था करते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए नोटिस निर्गत करने के निर्देश दिये गये।

संकुल के संचालक फर्म को अनुबंध के अनुसार स्थल/ हॉल को पूर्णरूपेन सही स्थिति में एवं सुंदर अवस्था में रखा जाना, अनिवार्य था, लेकिन स्थलीय निरीक्षण में स्थलों पर टूट-फूट एवं हॉल को सुंदरीकृत अवस्था में नहीं पाया गया। जिस पर नाराजगी जताते हुए सही कराने के निर्देश दिये गये।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि संकुल के संचालक फर्म द्वारा संकुल के प्रचार-प्रसार पर समुचित ध्यान/व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिससे संकुल/ परिसर के बुकिंग की स्थिति अपेक्षानुसार कम पायी गयी। कार्य संचालन पर असंतोष प्रकट करते हुए संबंधित फर्म को नोटिस निर्गत करने के निर्देश दिये गये। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि फर्म द्वारा कार्य संचालन में यदि अपेक्षित सुधार नहीं किया जाता है तो अनुबंध के शर्तों के अंतर्गत फर्म के साथ हुए अनुबंध को निरस्त करने पर भी विचार किया जायेगा।

आज–दि0 07.12.2024

सांस्कृतिक संकुल के निजी फर्म को लगी लताड़

विप्रा उपाध्यक्ष ने अनिमिता को लेकर नोटिस जारी करने का दिया निर्देश

विप्रा उपध्यक्ष पुलकित गर्ग ने गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल में अनिमिता पाये जाने पर आईएसडब्लूएचसी के विरूद्ध नोटिस और अर्थ दण्ड लगाने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि फर्म ने बुकिंग करने में अनिमिता दिखायी है। इसके अलावा विप्रा से समझौते के अनुसार भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है। उपाध्यक्ष ने निर्देश दिया कि अब व्यास सहित वसूली की जायेगी। संकुल में सीसी टीवी कैमरा भी ठीक ठंग से नहीं लगाया गया और साफ-सफाई में भी लापरवाही बरती गयी है। उन्होंने निर्देश दिया कि फर्म का तत्काल अग्निशमन मानकों के अनुसार व्यवस्था को दुरूस्त करना होगा। मैन पावर की कमी दिखायी दी, निरीक्षण में कई कमिया भी पकड़ी गयी। इसका पूर्नाविति न हो इसके लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मरम्मत और सुन्दरीकरण कार्य करने का निर्देश दिये गये है। विप्रा सचिव ने फर्म की लापरवाही से असंतोष नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है और उसे कड़ी चेतावनी देने के साथ अर्थदण्ड लगाने का भी आदेश किया गया।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 07.12.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण की पहल

वाराणसी। उत्तर प्रदेश राज्य में कई पुरानी और जीर्ण-शीर्ण सार्वजनिक एवं निजी आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाएँ है, जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, उन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। जब मरम्मत एक विकल्प नहीं है, तब पुनर्विकास ही एक मात्र समाधान बचता है। इस उद्देश्य हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश ड्राफ्ट री-डेवलपमेंट पॉलिसी तैयार कर शासन को प्रेषित की गयी एवं शासन स्तर पर उक्त पॉलिसी का प्रस्तुतीकरण भी किया गया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुर्नविकास की आवश्यकता का संज्ञान लेते हुये प्रदेश में री-डेपलपमेन्ट (पुर्नविकास) पॉलिसी तैयार किये जाने हेतु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। समिति की प्रथम बैठक आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को आयोजित की गयी।

री-डेपलपमेन्ट (पुर्नविकास) पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य शहर में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में विद्यमान भवनों को उनके अधिकतम उपयोग के दृष्टिगत पूर्ण एफ0ए0आर0 एवं अन्य मानको का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकेगा। पॉलिसी के द्वारा शहर के मूलभूत सुविधाओं, सार्वजनिक सुविधाओं, निम्न आय वर्गो के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। री-डेवलपमेन्ट के माध्यम से वहाँ के अध्यासियों को उच्च गुववत्त का लाभ होने के साथ-साथ नए व्यवसाय के विकल्प भी सृजित किये जा सकेंगे। साथ ही शहर का स्वरूप भी उच्च स्तर का हो सकेगा। इस पॉलिसी के माध्यम से न केवल सरकारी विभाग, बल्कि सोसाइटी/बिल्डर्स के माध्यमों से भी री-डेवलपमेन्ट की कार्यवाही की जा सकेगी। यह पॉलिसी संयुक्त भू-स्वामित्व वाली सम्पतियों को सीधे तौर पर लाभान्वित करेगी। पुर्नविकास के समयावधि के अन्तर्गत वहाँ निवास कर रहे लोगों को एक वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्राविधान किये गये है। साथ ही अन्य कई इनसेंटिव दिये जाने पर भी चर्चा हुयी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 07.12.2024

संकुल संचालन में पायी गयी अनियमित्ताओं पर वी डी ए द्वारा दिये गये नोटिस/अर्थदण्ड आरोपन के आदेश

वाराणसी। गिरजादेवी सांस्कृतिक संकुल, वाराणसी के संचालन हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा आई0एस0डब्ल्यू0एच0सी0 फर्म को संचालन हेतु कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। आज दिनांक 06.12.2024 को पुलकित गर्ग, उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा आई0एस0डब्ल्यू0एच0सी0 फर्म के साथ समीक्षा की गयी। समीक्षा में गुडाकेश शर्मा, अपर सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण एवं ⊢ल् ब्वदेनसर्जदज उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के निर्देशों के क्रम में दिनांक 05.12.2024 को गुडाकेश शर्मा, अपर सचिव एवं ⊢ल् ब्वदेनसर्जदज के द्वारा स्थलीय एवं अभिलेखीय जाँच की गयी थी, जिसकी रिपोर्ट उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। उक्त रिपोर्ट एवं समीक्षा बैठक में मुख्यत: निम्न कमियाँ पायी गयी:- आई0एस0डब्ल्यू0एच0सी0 द्वारा बुकिंग आदि के सम्बन्ध में जो रिकॉर्ड रखे जा रहे है, उसमें काफी कमियाँ पायी गयी। सम्बन्धित फर्म द्वारा विधि संगत रूप से रिकॉर्ड नहीं रखे जाने के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा

सम्बन्धित फर्म को नोटिस निर्गत किये जाने के निर्देश उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा दिये गये। समीक्षा में यह भी पाया गया कि संकुल के संचालक फर्म आई0 एस0 डब्ल्यू0एच0सी0 द्वारा प्राधिकरण को अनुबंध के अनुसार समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा सम्बन्धित फर्म को विलम्ब से धनराशि जमा करने के कारण दण्ड ब्याज आगणित कराते हुए धनराशि जमा कराने के निर्देश दिये गये।स्थलीय निरीक्षण/समीक्षा में पाया गया कि संकुल के संचालक फर्म आई0 एस0 डब्ल्यू0एच0सी0 द्वारा सी0सी0 टी0वी0 कैमरा पर्याप्त संख्या में एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर नहीं लगाये है। स्थलीय निरीक्षण में यह भी पाया गया कि अग्नि शमन व्यवस्था के उपकरण यथा- फायर हाईड्रेन्टस, स्प्रिंकलर सिस्टम में कतिपय कमियाँ पायी गयी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित फर्म को तत्काल अग्नि शमन मानकों के अनुसार व्यवस्था दुरस्थ करने के निर्देश दिये गये तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इस हेतु नोटिस निर्गत करने के निर्देश दिये गये। संकुल के संचालक फर्म आई0एस0डब्ल्यू0एच0सी0 को अनुबंध के अनुसार जितनी संख्या में मैन पावर एवं संकुल के कुशल/सुरक्षित संचालन हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता प्राविधानित की गयी थी, स्थलीय निरीक्षण में उसमें कमियाँ पायी। उक्त के कारण उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा सम्बन्धित फर्म को तत्काल अनुबंध के अनुसार आवश्यक प्राविधानित मैन पावर एवं मशीनरी/उपकरण की व्यवस्था करते हुए अवगत कराने एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इस हेतु नोटिस निर्गत करने के निर्देश दिये गये। आई0 एस0 डब्ल्यू0 एच0सी0 को अनुबंध के अनुसार स्थल/हॉल को पूर्णरूपेन सही स्थिति में एवं सुन्दर अवस्था में रखा जाना अनिवार्य था, परन्तु स्थलीय निरीक्षण में कतिपय स्थलों पर टूट-फूट एवं हॉल के सुन्दरीकृत अवस्था में नहीं पाया गया। इस हेतु आई0एस0 डब्ल्यू0एच0सी0 फर्म को तत्काल समस्त व्यवस्थाएं/टूट-फूट ठीक कराते हुए प्रवेश द्वार एवं हॉल को सुन्दरीकृत अवस्था में रखे जाने के

जनसंदेश टाइम्स–दि0 07.12.2024

प्रदेश में जल्द लागू होगी री-डेवलपमेंट पॉलिसी

वीडीए की पहल

मिलेगी मूलभूत और सार्वजनिक सुविधाएं, नए व्यवसाय का विकल्प भी होगा सृजित

वाराणसी। वीडीए की पहल पर प्रदेश में जल्द री-डेवपलमेंट पालिसी लागू होगी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश शासन ने पुर्नविकास की आवश्यकता को जहां संज्ञान लिया है,वही प्रदेश में री-डेवलपमेन्ट (पुर्नविकास) पालिसी को जल्द तैयार किये जाने हेतु सचिव,आवास एव शहरी नियोजन की अध्यक्षता में समिति का गठन भी किया है। जिसकी प्रथम बैठक शुक्रवार को आयोजित की गयी। जिसमें री-डेपलपमेन्ट (पुर्नविकास) पॉलिसी के मुख्य उद्देश्य की जहां जानकारी दी गई,वही शहर में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में विद्यमान भवनों को उनके अधिकतम उपयोग के दृष्टिगत पूर्ण एफ.ए.आर. के बारे में समझाया भी गया। इस व्यवस्था से मानको का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकेगा। ,पालिसी के द्वारा शहर के मूलभूत और सार्वजनिक सुविधाएं प्राप्त होगी जबकि निम्न आय वर्गो के लिए आवासीय व्यवस्था भी उपलब्ध हो सकेगी। री-डेवलपमेन्ट के माध्यम से वहाँ के अध्यासियों को उच्च गुणवत्ता का लाभ होने के साथ-साथ नए व्यवसाय के विकल्प भी सृजित किये जा सकेगें। साथ ही शहर का स्वरूप भी उच्च स्तर किया जा सकता हैं। इस पालिसी से न केवल सरकारी विभाग बल्कि सोसाइटी/बिल्डर्स के माध्यमों से भी री-डेवलपमेन्ट की कार्यवाही की जा सकेगी। इसके द्वारा संयुक्त भू-स्वामित्व वाली सम्पतियों को सीधे तौर पर लाभान्वित होगी। पुर्नविकास के समयावधि के अन्तर्गत वहां निवास कर रहे लोगों को एक वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्राविधान किये गये है। साथ ही अन्य कई इनसेंटिव दिये जाने पर भी चर्चा हुयी। उक्त पॉलिसी के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का 1 ट्रिलियन डालर इकोनॉमी का विजन को सरकार करने एक्टीवेट विंडो में सहायक भी बनेगा।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 07.12.2024

एन इन्ट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेण्टस्–एन इनवेस्टर अवेयरनेस इनिसिएटिव' विषयक एक कार्यशाला का आयोजन

वाराणसी।वाराणसी विकास प्राधिकरण सभागार में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार एन0एस0ई0 एकेडमी द्वारा ''एन इन्ट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेण्टस्-एन इनवेस्टर अवेयरनेस इनिसिएटिव' विषयक एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एन0एस0ई0 एकेडमी के तरफ से मो0 फिरोज खान द्वारा इक्विटी की अवधाराणा, ऋण उपकरण, निवेश उपकरण के रूप में म्यूचल फण्ड, व्यक्तिगत वित्तीय योजना बनाने, बचत की आवश्यकता तथा बचत और व्यय पर मुद्रास्फीति का प्रभाव, मँहगायी से बचाव एवं म्यूचल फण्ड संरचना के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी।

न्यायाधीश–दि0 07.12.2024

वाविप्रा जोन- 5 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग को किया गया ध्वस्त

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में 06दिसम्बर को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-5 की प्रवर्तन टीम द्वारा कुल 11 बीघा में अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत वार्ड-रामनगर, थाना-अलीनगर, जिला-चन्दौली, मौजा-हृदयपुर के अन्तर्गत अलग-अलग अज्ञात प्लाटिंगकर्ताओं द्वारा लगभग 06 बीघा, 04 बीघा व 01 बीघा इस प्रकार कुल लगभग 11 बीघा में अवैध तरीके से किये जा रहे कुल 03 अवैध प्लाटिंग को आज दिनांक 06.12.2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया।इस दौरान जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता श्री अशोक कुमार यादव, प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 07.12.2024

गिरजादेवी सांस्कृतिक संकुल संचालन में पायी गयी अनियमितताओं पर उपाध्यक्ष, वाविप्रा द्वारा दिये गये नोटिस/अर्थदण्ड आरोपन के आदेश

वाराणसी।गिरजादेवी सांस्कृतिक संकुल, वाराणसी के संचालन हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा आई0एस0 डब्लूयू0एच0सी0 फर्म को संचालन हेतु कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। आज 06.दिसम्बर को पुलकित गर्ग, उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा आई0एस0डब्लूयू0एच0सी0 फर्म के साथ समीक्षा की गयी। समीक्षा में श्री गुडाकेश शर्मा, अपर सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण एवं उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के निर्देशों के क्रम में 05.दिसम्बर को श्री गुडाकेश शर्मा, अपर सचिव एवं म्ल् ब्वदेनसजंदज के द्वारा स्थलीय एवं अभिलेखीय जॉच की गयी थी, जिसकी रिपोर्ट उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। उक्त रिपोर्ट एवं समीक्षा बैठक में मुख्यतः निमन् कमियाँ पायी गयी ।संकुल के संचालक फर्म आई0एस0 डब्लूयू0एच0सी0 द्वारा बुकिंग आदि के सम्बन्ध में जो रिकॉर्ड रखे जा रहे है, उसमें काफी कमियाँ पायी गयी। सम्बन्धित फर्म द्वारा विधि संगत रूप से रिकॉर्ड नही रखे जाने के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित फर्म को नोटिस निर्गत किये जाने के निर्देश उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा दिये गये।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि संकुल के संचालक फर्म आई0एस0डब्लूयू0एच0सी0 द्वारा प्राधिकरण को अनुबंध के अनुसार समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा सम्बन्धित फर्म को विलम्ब से धनराशि जमा करने के कारण दण्ड ब्याज आगणित कराते हुए धनराशि जमा कराने के निर्देश दिये गये।स्थलीय निरीक्षण/समीक्षा में पाया गया कि संकुल के संचालक फर्म आई0एस0डब्लूयू0एच0सी0 द्वारा सी0सी0टी0वी0 कैमरा पर्याप्त संख्या में एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर नहीं लगाये है।संकुल के संचालक फर्म आई0एस0डब्लूयू0एच0सी0 को अनुबंध के अनुसार जितनी संख्या में मैन पावर एवं संकुल के कुशल/सुरक्षित संचालन हेतु विभिनन्प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता प्राविधानित की गयी थी, स्थलीय निरीक्षण में उसमें कमियाँ पायी। उक्त के कारण उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा सम्बन्धित फर्म को तत्काल अनुबंध के अनुसार आवश्यक प्राविधानित मैन पावर एवं मशीनरी/उपकरण की व्यवस्था करते हुए अवगत कराने एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इस हेतु नोटिस निर्गत करने के निर्देश दिये गये।

उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा किया स्थलीय निरीक्षण

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा सेंट्रल जेल रोड पर एन्हांसिंग अर्बन इंटरेक्शन L™ प्लेसमेकिंग, लैंडस्केपिंग एंड पेडेस्ट्रियानेशन ऑफ सेंट्रल जेल रोड के तहत स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसके विद्युत लाइन हेतु आरसीसी डक्ट का कार्य गतिमान है तथा फुटपाथ का कार्य प्रारंभ होना है। संबंधित ठेकेदार को मजदूरों की संख्या बढ़ाने एवं निर्धारित समय में कार्य को गुणवत्तापूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस परियोजना के तहत विद्युत तथा ओएफसी लाइन को भूमिगत करने हेतु डक्ट, पार्किंग, वेंडिंग एरिया, फुटपाथ, सिटिंग तथा लैंडस्केपिंग का कार्य कराया जाना है। मौके पर अर्बन प्लानर एवं संबंधित ठेकेदार उपस्थित रहे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002
Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 07.12.2024

वाविप्रा की पहल पर प्रदेश में लागू होगी री-डेपलपमेन्ट (पुर्नविकास) पॉलिसी

वाराणसी।उत्तर प्रदेश राज्य में कई पुरानी और जीर्ण-शीर्ण सार्वजनिक एवं निजी आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाएँ है, जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, उन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। जब मरम्मत एक विकल्प नही है, तब पुर्नविकास ही एक मात्र समाधान बचता है। इस उद्देश्य हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा Uttar Pradesh Draft Redevelopment Policy तैयार कर शासन को प्रेषित की गयी थी एवं शासन स्तर पर उक्त पॉलिसी का प्रस्तुतीकरण भी किया गया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुर्नविकास की आवश्यकता का संज्ञान लेते हुये प्रदेश में री-डेपलपमेन्ट (पुर्नविकास) पॉलिसी तैयार किये जाने हेतु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। समिति की प्रथम बैठक आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को आयोजित की गयी।री-डेपलपमेन्ट (पुर्नविकास) पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य शहर में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में विद्यमान भवनों को उनके अधिकतम उपयोग के दृष्टिगत पूर्ण एफ0ए0आर0 एवं अन्य मानकों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकेगा। पॉलिसी के द्वारा शहर के मूलभूत सुविधाओं, सार्वजनिक सुविधाओं, निम्न-आय वर्गो के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। री-डेवलपमेन्ट के माध्यम से वहाँ के अध्यासियों को उच्च गुववत्त का लाभ होने के साथ-साथ नए व्यवसाय के विकल्प भी सृजित किये जा सकेगें। साथ ही शहर का स्वरूप भी उच्च स्तर का हो सकेगा। इस पॉलिसी के माध्यम से न केवल सरकारी विभाग, बल्कि सोसाइटी/बिल्डर्स के माध्यमों से भी री-डेवलपमेन्ट की कार्यवाही की जा सकेगी। यह पॉलिसी संयुक्त भू-स्वामित्व वाली सम्पत्तियों को सीधे तौर पर लाभान्वित करेगी। पुर्नविकास के समयावधि के अन्तर्गत वहाँ निवास कर रहे लोगों को एक वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्राविधान किये गये है।

न्यायाधीश–दि0 07.12.2024

वाविप्रा जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। 06 दिसम्बर को वार्ड-सिकरौल, प्लाट नं0-138, मौजा-खजुरी (आजाद नगर कालोनी) के अन्तर्गत फरजाना शबनम पत्नी मोहम्मद परवेज द्वारा पूर्व में स्वीकृत मानचित्र संख्या-वीडीए/2023-24/1258 के विपरीत अधिक क्षेत्रफल में बेसमेन्ट की खुदाई करके कॉलम व बीम बनाकर निर्माण कार्य कराये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम,

1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बताओ एवं निर्माण कार्य बन्द कराने हेतु पूर्व में नोटिस जारी की गयी थी, परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा स्थल पर सेटबैक एवं रोडवाईडनिंग कवर कर निर्माण करने तथा शमन मानचित्र प्रस्तुत न करने के कारण उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-28 (क) की उपधारा-1 के अन्तर्गत अनाधिकृत निर्माण को 06-दिसम्बर को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। इस मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव अवर अभियंता प्रिया अग्रहरी मौजूद रहीं। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।